प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 22.05.2017 को राज्य के नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

- **सबके लिए आवास योजना**– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सबके लिए आवास योजना के BLC घटक के अधीन स्वीकृत आवासीय ईकाईयों की प्रगति बहुत ही खराब है। कुल 87 नगर पंचायतों में से दिघवारा, एकमा बाजार, कहलगॉव, कटैया, कोआथ, कोचस, कोईलवर, महुआ, मनेर, मढ़ौरा, मीरगंज, मोहनिया, नौबतपूर, परसा बाजार, रामनगर, रोसड़ा, साहेबगंज, शेरघाटी, सिलाव, सिमरी बख्तियारपुर, एवं टेकारी, जैसे कुल 21 नगर पंचायतों की उपलब्धि अभी तक शून्य है। 6 नगर पंचायत यथा –जयनगर, जोगबनी, राजगीर, जगदीशपुर, फतुहा तथा बरबिगहा की प्रगति 25% से भी कम है। शून्य प्रगति प्रतिवेदन वाले 21 नगर पंचायतों से कारण पृच्छा किये जाने का निदेश दिया गया। उन्हें निदेश दिया गया कि विशेष अभियान चला कर 2–3 दिन के अन्दर प्रथम किश्त का भुगतान निश्चित रूप से कर दें अन्यथा प्रपत्र "क" गठित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी। साथ ही जिन नगर पचायतों की प्रगति धीमी है, उन्हें शीघ्र ही सारी औचारिकताए पूरा करते हुए कार्य में गति लाने का निदेश दिया गया। विभागीय पत्रांक 1198 दिनांक 19.05.2017 द्वारा 85 नगर निकायों को सबसे लिए आवास योजना के तहत राशि आवंटित की गयी तथा राज्यादेश संख्या 1199 दिनांक 19.05.2017 द्वारा 57 में से 49 नगर निकायों को राशि आवंटित की गयी है। यह द्वितीय किस्त की राशि है। निदेश दिया गया कि जिन नगर निकाय द्वारा उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत किया गया एवं कार्य अभी लंबित है, वो इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। जिन नगर पंचायतों में अभी तक डी०पी०आर०, आधार लिंकिंग, 7सी० तथा बैंक खाता खोलवाने संबंधी कार्य नहीं किया गया है, उनपर नाराजगी व्यक्त की गयी। उन्हें निदेश दिया गया कि कार्य शीध्र आरंभ करावें तथा जिन स्थानों पर नगर निकाय चुनाव आचार संहिता का मामला बनता है वहॉ इस अवधि में अपना सारे अभिलेख दुरूस्त कर लें ताकि आचार संहित समाप्त हाने के तुरंत बाद ही कार्यादेश निर्गत किया जा सके। सबके लिए आवास(शहरी) योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित घटक में द्वितीय चरण में स्वीकृत आवासीय ईकाइयों में कार्य प्रारंभ करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1135 दिनांक 09.05.2017 के मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य किया जाय एवं यदि कोई समस्या हो तो मुख्यालय में कार्यरत कर्मी श्री मुकेश के मोबाईल संख्या 9934258105 से सम्पर्क करें।

(अनुपालन–उप निदेशक, बुडा/सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

- **IHSDP**– इस योजना से अच्छादित चार नगर पंचायत यथा बेलसंड, नवीनगर, नौबतपुर तथा ठाकुरगंज में प्रगति बहुत धीमी है। बेलसंड नगर पंचायत में infrastructure का काफी राशि बचा हुआ है। विदित हो कि यह योजना दिनांक 31.03.2017 के प्रभाव से बंद हो गयी है इसलिए नये कार्य शुरू नहीं किया जाना है, परन्तु प्रारंभ की गयी सभी योजनाओं को पन्द्रह दिनों में पूर्ण करें।

(अनुपालन–संबंधित नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

❖ **DAY-NULM** :– इस योजना का कार्यान्वयन विभागीय पत्रांक 626 दिनांक 07.03.2017 द्वारा निर्गत गाईडलाईन के आधार पर किया जाना है। योजना के क्रियान्वयन हेतु 50,000 से अधिक आबादी वाले नगर पंचायतों में एक CMMU का गठन किया गया है तथा 50,000 से कम आबादी वाले पंचायतों को निकटवर्ती नगर पंचायतों के साथ सम्बद्ध कर CMMU के भ्रमण का दिवस तय करते हुए संबंधित नगर पंचायतों को विभागीय पत्रांक 963 दिनांक 13.04.2017 द्वारा सूचित किया गया है। नगर पंचायतों को निदेश दिया गया कि संबंधित CMMU से **DAY-NULM** योजना के सभी घटकों के क्रियान्वयन हेतु सेवा ली जाय। विभागीय पत्रांक 1163 दिनांक 16.05.2017 द्वारा DAY-NULM के सभी घटकों का वार्षिक कार्य–योजना तैयार कर भेजा गया है। 1 अप्रैल 2017 से इस योजना की सभी राशि PFMS के माध्यम से व्यय होना है इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खुलवाना आवश्यक है। नये नगर पंचायतों में 65 स्थानों पर खाता खोला जाना है जिसमें से 24 जगहों पर खाता खोला गया है, शेष संबंधित नगर पंचायतों को निदेशित किया गया है कि 2–3 दिनों के अन्दर खाता खुलवाने की कार्रवाई करें। इस योजना से आच्छादित अधिकाशं नगर पंचायतों से मासिक प्रगति प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेश दिया गया है कि इसको गंभीरता से लेते हुए मासिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। यदि कार्य नहीं भी हो रहा हो तो शून्य प्रतिवेदन भेजें। EST&P घटक में प्रशिक्षण हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के गाइड लाईन के आधार पर कार्य किया जाना है। बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) से निबंधित संस्थान से ही प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसके लिए 49 संस्थानों की सूची संबंधित नगर निकायों को सत्यापन हेतु विभागीय पत्रांक 1072 दिनांक 28.04.2017 द्वारा भेजा गया है। निदेश दिया गया कि सत्यापन प्रतिवेदन शीघ्र भेज दें। 10 स्थानों में आश्रय स्थल का निमार्ण किया जाना था, जो वर्ष 2014 से ही लंबित है। संबंधित नगर पंचायत को निदेश दिया गया कि 15 जून 2017 तक आश्रय–स्थल का निमार्ण कार्य पूर्ण करा लिया जाय।

(अनुपालन– सभी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी)

➢ <u>स्वच्छ भारत मिशन</u> – स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं उसको ODF किये जाने संबंधी कार्य करायी जाय। स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत पूर्ण कराये गये कार्यों का प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से रिपोर्ट पोर्टल पर भेजा जाय। गंगा के किनारे बसे वार्डों को 31 मई तक ODF घोषित करने लक्ष्य है, जिसमें प्रगति संतोषजनक नहीं है। निदेशित किया गया है कि नगर पंचायत को शत–प्रतिशत ODF घोषित करने के प्रयास में तेजी लायी जाये। बरबिगहा नगर पंचायत द्वारा जानकारी दी गयी कि उनका नगर पंचायत गंगा किनारे पर नहीं बसा हुआ है। उन्हें निदेश दिया गया कि पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित करें। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि फतुहा नगर पंचायत में 717 घर ऐसे हैं जहॉ जमीन नहीं है, उन्हें सामुदायिक शौचालय के निर्माण कराने तथा यदि सामुदायिक शौचालय के निर्माण में कोई परेशानी है तो विभाग को पत्र लिखने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि SBM योजनान्तर्गत यदि प्राप्त लक्ष्य कम हो रहा है तो विभाग में प्रारूप के माध्यम से सर्वे डाटा को मोडिफाई करा लिया जाय।

(अनुपालन–विशेष सचिव (श्री दयाल)/सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

❖ **ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन (SWM)**– सीवेज प्रबंधन तथा ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन के संबंध में मॉगा गया Action Plan अधिकांश नगर निकायों से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि निर्धारित प्रारूप में भरकर स्पष्ट सूचनाएँ/Action Plan विभाग को उपलब्ध करायी जाय तथा इसकी soft copy ई–मेल के माध्यम से spmgbihar@gmail.com पर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय। ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन हेतु जिन नगर पंचायतों में अभी तक टेण्डर नहीं हुआ है वह बिहारीशरीफ का अनुसरण करें, क्योंकि बिहारशरीफ में टेण्डर हुआ है, उनका Model RFP है। Technical Expert के रूप में SPMG के Group से इन मोबाईल नम्बरों यथा :– श्री अनुप, (वरीय असैनिक अभियंता)–9431262724, श्री निखिल रंजन(मोनिटरिंग एण्ड इभेलुऐशन ऑफिसर)–8083730086 एवं श्रीमती शुभांजली सक्सेना (पर्यावरण विशेषज्ञ) –9006947963 पर सम्पर्क किया जाय।

(अनुपालन– SPMG, BIHAR /सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

❖ **मुख्यमंत्री हर घर नल–जल निश्चय योजना**– निदेश दिया गा कि 26 कॉलम का नया format बना है, जिसमें वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का अलग–अलग कार्य संबंधी ब्योरा अंकित करना है,उसी प्रारूप में भर कर प्रतिवेदन MIS Cell को उपलब्ध करायी जाय। हर घर नल–जल निश्चय योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कराये जाने संबंधी निर्गत विभागीय पत्रांक 3256 दिनांक 16.05.2017 के आलोक में कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन– सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

❖ **मुख्यमंत्री शहरी नली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना**– 23 कॉलम का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। निदेशित किया गया कि शीघ्र सही डाटा भरकर विभाग को भेजें। साथ ही सप्ताहिक प्रतिवेदन MIS Cell से को भेजना सुनिश्चित किया जाय ताकि बिहार विकास मिशन में आयोजित बैठक में सहा डाटा दिया जा सके। वैसे नगर पंचायत जहॉ निविदा निकाली जा चुकी है या कार्य हो चुका है, वे अपने प्रतिवेदन मे आवश्यक सुधार कर लें। नाली गली पक्कीकरण योजना की समीक्षा की गयी। जिन नगर निकायों में अभी तक टेण्डर नहीं हुआ उन्हें शीघ्र टेण्डर करने का निदेश दिया गया। इस वर्ष 115000 घरों को नली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना से आच्छादित किया जाना है। श्री सोमेश सिंह, कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि इस संबंध में विभाग में लंबित संचिकाओं को जॉच कर शीघ्र निष्पादन कराया जाय।

(अनुपालन– कार्यपालक अभियंता (श्री सोमेश)/सभी नगर पंचायतों के कार्य० पदा०)

❖ **उपयोगिता प्रमाण–पत्र** – वीरपुर, फतुहा, झॉझा, काईलवर, महुआ, मनेर, मनिहारी, नौबतपुर आदि नगर निकायों द्वारा अनिकासी प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया है। इनका अनिकासी का मामला शून्य हो गया है, जो प्रशंसनीय है। जिन नगर निकायों में अधिक राशि पीएल खाते में जमा है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अधिक लंबित है वहॉ अभियान चलाकर U.C. तैयार कर भेजने का निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा लगातार U.C. संबंधी समीक्षा की जा रही है। 20 Point में प्रतिवेदन लगातार Update किया जाना है। यदि विभाग के प्रतिवेदन एवं नगर निकाय के प्रतिवेदन में भिन्नता हो तो 20 Point में प्रतिवेदन भेजकर इसका समाधान एक सप्ताह में कराने का निर्देश दिया गया। सभी को अनिकासी संबंधी राशि का अनिकासी प्रमाण पत्र कोषागार पदाधिकारी से प्राप्त कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में भेजने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन– सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

❖ **लोक लेखा** – बैठक में समीक्षा के दौरान सम्बंधित E.O. निदेश दिया गया कि लोक लेखा समिति का लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध कराया जाय, ताकि समीक्षोपरान्त लोक लेखा समिति/महालेखाकार/वित्त विभाग को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

(अनुपालन–सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

❖ **13 वें वित्त आयोग** – बरौली, बहादूरगंज, बरबिगहा दाउदनगर आदि नगर पंचायतयों में 13वें वित्त आयोग का पैसा अभी तक बचा हुआ है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी नगर पंचायतों में कुल 5.13 करोड़ की राशि बिना व्यय किये बचा हुआ है। निदेश दिया गया कि अगली बैठक के पूर्व यदि कार्य चालू है तो शीघ्र पूर्ण करायें। काम शुरू नहीं हुआ है तो राशि जमा करके उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दें।

❖ **14 वें वित्त आयोग** – 14वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि के विरूद्ध की गयी व्यय की समीक्षा में पाया गया कि व्यय के मामले में नगर निकायों की स्थिति अत्यन्त ही खराब है। निदेश दिया गया है कि कार्य में तेजी लाये एवं वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन शीघ्र विभाग को भेजें।

❖ **5th Finance**– अरेजराज नगर पंचायत में सम्पूर्ण राशि (99.56 लाख) बचा हुआ है। बखरी नगर पंचायत में वित्तीय वर्ष 2014–15 की राशि अधिक मात्रा में बचा हुआ है, यह अत्यंत दुखद है। बरौली नगर पंचायत के पास 1.5 करोड़ की राशि लंबित है, यदि बिजली बिल का भुगतान करना है तो शीघ्रता करें। इसी तरह वीरपुर में 58.92 लाख की राशि व्यय हेतु लंबित है। निदेश दिया गया कि इसे शीघ्र ही व्यय किया जाय अन्यथा ये प्रपत्र "क" गठित करने का आधार बन सकता है। अतएव नल–जल अथवा गली–नाली निमार्ण में पहले राज्य योजना के राशि के बजाय वित्त आयोग के राशि से व्यय किया जा सकता है।

❖ **BRGF**– इस योजना में 6 करोड़ की राशि बचा हुआ है, जबकि योजना बन्द हो गयी है। अमरपुर नगर पंचायत को निदेश दिया गया कि एस०सी०/एस०टी० कम्पोनेन्ट का पैसा है, इसे व्यय नहीं कर सकते है इसलिए राशि जमा कर दी जाय। इसी तरह बहादूरगंज, दिघवारा, हवेली खड़गपुर, जोगबनी, कटैया, रोसड़ा, सुगौली, रफीगंज आदि नगर पंचायतों के पास काफी राशि लंबित है, निदेशित किया गया कि अगली बैठक के पूर्व इसको शुन्य कर दें।

❖ **State Plan**– इस योजना में 87 नगर पंचायत में स्वीकृत 16662.01 लाख की राशि में मात्र 324.59 लाख अर्थात 1.95 प्रतिशत व्यय हुआ है। यह स्थिति बहुत ही खराब है। निदेश दिया गया कि व्यय में तेजी लाये एवं यदि इस योजना से संबंधित कोई संचिका तकनीकी कोषांग में लंबित है तो इसका भी निष्पादन अतिशीघ्र कर दें। श्री सोमेश जी के द्वारा जानकारी दी गयी कि एल०ई०डी० लाईट के लिए नया गाईडलाईन बना है उसी आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेग।

(अनुपालन– विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

❖ **होल्डिंग टैक्स** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि टैक्स की वसूली पिछले साल संतोषजनक रहा है। निदेश दिया गया कि हाउस होल्ड का सर्वे करा लें एवं यदि सर्वे हो गया हो तो डिमांड बनाकर भेजें। विज्ञापन कर/बस स्टैण्ड से प्राप्त कर/ दाखिल–खारिज कर/जन्म–तिथि प्रमाण–पत्र आदि से प्राप्त होने वाले राजस्व की वसूली में तेजी लाया जाय।

(अनुपालन– सभी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी)

❖ बैठक में अनुपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी, जिनके प्रतिनिधि भी बैठक में भाग नहीं लिये हैं, से तीन दिनों में स्पष्टीकरण पूछा जाय।

(अनुपालन– निदेशक, नगरपालिका प्रशासन।)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

25/5/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3532 /न0वि0एवंआ0 विभाग/ पटना, दिनांक 26/5/2017

प्रतिलिपि– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25/5/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3532 /न0वि0एवंआ0 विभाग/ पटना, दिनांक 26/5/2017

प्रतिलिपि– सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी/ विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/5/2017

प्रधान सचिव